

पत्रांक 217125 का पत्र

५

21/11/25

पत्रांक पेश है। पार्टी वकील उपरोक्त मूल दावा
अदालत में खारिज किया जा चुका है।
अनुरोध पत्र 212 RTI का चलाने का कोई
औचित्य नहीं है। अनुरोध पत्र 212 RTI
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रांक इसमें शुभारंभ होकर नम्बर से कम
ही जाकर दायित्व दफ्तर में।

५

